

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
समाचार भाग-2

॥ विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी ॥
शुक्रवार, 20 जून, 1997 / ज्येष्ठ 30, 1919 ॥ शक ॥

संख्या : 332

सदस्य की नज़रबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित पुलिस उपायुक्त, नई दिल्ली जिला, नई दिल्ली का निम्नलिखित संदेश दिनांक 12.06.1997 को प्राप्त हुआ :-

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य श्री परदेज़ हाशमी को दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अन्तर्गत पुलिस अधिकारी के विधिसम्मत निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण दिनांक 12.6.97 को अपराहन 1.10 बजे, पुराना किला रोड, पुलिस थाना तिलक मार्ग, नई दिल्ली से नज़रबंद किया गया।

उन्हें उसी दिन अर्थात् दिनांक 12.6.97 को अपराहन 2.00 बजे, पुलिस थाना, तिलक मार्ग, से रिहा कर दिया गया।"

पी.एन. गुप्ता
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & other matters)
Friday, June 20, 1997/ Jyaistha 30, 1919 (Saka)

No.332

DETENTION AND RELEASE OF A MEMBER

The following message dated 12.06.1997 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha was received from the Deputy Commissioner of Police, New Delhi District, New Delhi :-

" I have the honour to inform you that Shri Parvez Hashmi, Hon'ble member of Legislative Assembly, Delhi alongwith his other supporters was detained under section 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful directions of police from Purana Quila Road, P.S. Tilak Marg, New Delhi on 12.6.97 at 1.10 P.M.

He was released at 2.00 P.M. from P.S. Tilak Marg, the same day on 12.6.97."

P.N. GUPTA
SECRETARY